युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.
Registered & Head Office: 24, Whites Road, Chennai-600 014.

पेंशन विभाग **8 दिसंबर, 2020**

वर्ष 2021 के लिए पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु

पेंशन भुगतान जारी रखने के लिए हर साल सभी पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। पिछले वर्षों के जैसे ही वर्ष 2021 के लिए जीवन प्रमाण पत्र ईएसएस-एचसीएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है। मा.का./शा.का./मं.का./सेवा हब/क्षे.का./एलसीबी/प्र.का. में सभी क्लास -I अधिकारी पेंशनधारियों को पोर्टल पर लॉग इन करके जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ईएसएस- एचसीएम पोर्टल के अंतर्गत "जीवन प्रमाण पत्र" टैब कोविड -19 परिदृश्य को देखते हुए **01.01.2021 से 31.03.2021 तक तीन महीने की अवधि** (पिछले वर्ष की तरह दो महीने के बजाय) के लिए खुला रहेगा। **पेंशन उन पेंशनधारियों के लिए बिना रुकावट के जारी रहेगी जो 10.02.2021 को या उससे पहले जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं** और 10.02.2021 के बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा करने वालों के लिए, पेंशन को ऐसे समय तक रोक दिया जाएगा और उसके बाद जारी किया जाएगा। **01.04.2021 से, पेंशन जीवन प्रमाणपत्र टैब स्वतः अक्षम हो जाएगा और नए जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुतियाँ को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

जीवन प्रमाण पत्र -2021 जमा करने की प्रक्रिया इस प्रकार हैं:

1. **सत्यापन अधिकारी** - कोई भी क्लास -I अधिकारी "लाइफ सर्टिफिकेट" टैब का चयन करके ईएसएस एचसीएम पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र -2021 जमा करने की सुविधा प्रदान कर सकता है।

2. **पेंशनधारी की पहचान** - पहचान के उद्देश्य से, पेंशनधारी / पारिवारिक पेंशनधारी को सत्यापन करने वाले अधिकारी को एक फोटो आईडी प्रूफ जैसे पेंशनधारी आईडी कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि देना होगा।

3. **मूल डेटा** - ईएसएस एचसीएम पोर्टल के "लाइफ सर्टिफिकेट" टैब में पेंशनधारी / फैमिली पेंशनधारी का वार्षिकी संख्या या कर्मचारी संख्या देने पर, सिस्टम उपलब्ध डेटाबेस से पेंशनधारी के मूल डेटा को प्राप्त करेगा। यदि वार्षिकी संख्या या कर्मचारी संख्या आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो अन्य खोज विकल्प जैसे कि वार्षिकी ग्राही का नाम या जन्म तिथि भी विकल्प बॉक्स पर क्लिक करके डेटा लाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। पेंशनधारी वार्षिकी संख्या के लिए मासिक पेंशन क्रेडिट एसएमएस का भी उल्लेख कर सकता है।

4. **डेटा का सुधार** - डेटा में कोई भी परिवर्तन अर्थात आवासीय पता / ईमेल आईडी, अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों की शुद्धता के स्वयं संतुष्ट होने के बाद संपादन विकल्प का उपयोग करके सत्यापन अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। यदि आधार नंबर पहले से उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो अब उसे भरा जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जब भी आवश्यक हो पेंशनधारी के साथ आसान संचार की सुविधा के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है। ईमेल आईडी एलआईसी द्वारा फॉर्म -16 की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है और इसलिए पेंशनधारियों को इस व्यवस्था का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

5. **बैंक विवरण का सुधार** - डिफ़ॉल्ट रूप से, बैंक विवरण क्षेत्र को गैर-संपादन योग्य बनाया जाता है। यदि खाते के विवरण में कोई बदलाव होता है, तो पेंशनधारी से अनुरोध किया जाता है कि वह पहले उल्लेखित बैंक विवरण के साथ जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करे और फिर रद्द किए गए चेक लीफ की प्रति के साथ ईसीएस जनादेश फॉर्म भरकर बैंक परिवर्तन को अंतरंग करें। ईसीएस जनादेश फॉर्म और चेक लीफ कॉपी या तो सीधे पेंशनधारी द्वारा पेंशन विभाग को भेज दी जाएगी या आगे प्रस्तुत करने के लिए सत्यापन अधिकारी को सौंप दी जाएगी। ईसीएस जनादेश फॉर्म की स्कैन की गई कॉपी और रद्द किए गए चेक लीफ / पासबुक के पहले पेज की कॉपी hopension@uiic.co.in पर मेल करनी

चाहिए। यदि दिसंबर 2020 में पेंशन को सही बैंक खाते में जमा किया गया है, तो पेंशनधारियों को सलाह दी जाती है कि बैंक खाते के अपडेशन के लिए नए सिरे से अनुरोध न करें क्योंकि एलआईसी रिकॉर्ड पहले से ही क्रम में है।

6. **<u>जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना</u> -** डेटा में आवश्यक सुधार करने के बाद, सत्यापन अधिकारी जीवन प्रमाण पत्र -2021 प्रस्तुत करेगा। मितव्ययिता के उपाय एवं कोविड -19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जीवन प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी को मुद्रित करके पेंशन विभाग, प्रधान कार्यालय को भेजने की आवश्यक्ता नहीं है। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के समय पेंशनधारी द्वारा प्रस्तुत मोबाइल नंबर पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की पावती दी जाएगी।

7. **<u>सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्ति</u> -** सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के महीने में सेवानिवृत्त होने वालों को वर्ष 2021 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

8. **<u>इस अवधि के दौरान विदेश में रहने वाले पेंशनधारी</u> -** यदि पेंशनधारी / पारिवारिक पेंशनधारी विदेश में रह रहे हैं, तो वह uiicpension@gmail.com पर पेंशन विभाग, प्रधान कार्यालय को एक मेल भेंज सकते हैं, जिसकी एक प्रति hopension@uiic.co.in को भेंज कर "ऑफ़लाइन" जीवन प्रमाण पत्र- 2021 के लिए फार्म का अनुरोध कर सकते हैं। जीवन प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध केवल 1 जनवरी 2021 को या उसके बाद भेजा जाना चाहिए। पेंशन विभाग एक ऑफ़लाइन फॉर्म जेनरेट करेगा और उसे पेंशनधारी को अग्रेषित करेगा जो भारतीय दूतावास / किसी जिप्सा कंपनियों / किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / उस देश जहाँ पेंशनधारी / पारिवारिक पेंशनधारी रहता है के नोटरी पब्लिक से प्रमाणन प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

9. **<u>बीमारी के कारण चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनधारी</u> -** यदि पेंशनधारी बीमारी के कारण अपने निवास स्थान से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, तो पेंशनधारी का परिवार, किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ नजदीकी यूआईआईसी कार्यालय जाकर पेंशनधारी की अक्षमता का उल्लेख करेगा। संबंधित कार्यालय जीवन अस्तित्व की पुष्टि कर जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करेगा।

10. **<u>जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कोविड -19 प्रोटोकॉल:</u>**

- सभी पेंशनभोगियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कोविड -19 सुरक्षा-सावधानी जैसे सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, बार-बार सैनिटाइजेशन इत्यादि बरतते हुए निकटतम युनाईटेड इंडिया कार्यालय का दौरा करें।
- जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण ऑनलाइन और तात्कालिक है और इसलिए पेंशन विभाग, प्रधान कार्यालय को कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जानी चाहिए।
- पेंशन विभाग, प्रधान कार्यालय में भीड़ से बचने के लिए, सभी पेंशनभोगियों को केवल निकटतम युनाईटेड इंडिया कार्यालय में जाने की सख्ती से सलाह दी जाती है। चूँकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसमें जीवन प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी प्रस्तुत / कूरियर नहीं की जा रही है अतः पेंशनधारी किसी भी यूआईआईसी कार्यालय में जाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की पावती एसएमएस के माध्यम से मोबाइल नंबर पर प्रस्तुत करने के समय दी जाएगी। इसके अलावा, पेंशन क्रेडिट आदि के बारे में कोई भी संचार केवल उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे उल्लिखित समय के दौरान कोविड -19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए समय पर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अपना सहयोग दें।

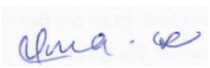

मुख्य प्रबंधक